न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 79 / 2022

1 शीशराम पुत्र स्व. हनुमान उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 दीपचन्द पुत्र स्व. हनुमान उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुलतान दत्तक पुत्र स्व. माना उर्फ मानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 महादेव पुत्र स्व. गणेशा मृत
2/1 श्री चन्द पुत्र स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/2 विक्रम पुत्र स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/3 सज्जना पुत्री स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/4 बिमला पुत्री स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 शान्ति पत्नी स्व. भगवानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु
4 मोहर सिंह पुत्र स्व. भगवानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सुमेर पुत्र स्व. भगवानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील कार्यालय मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी प्रकरण सुलतान बनाम शिशराम आदि दावा बाबत घोषणा व विभाजन, पुराना मु.नं. 118/2009 नया मु.नं. 125/2013 एकपक्षीय डिक्री दिनांक 15.01.2014

अपील संख्या 83/2022

1 शीशराम पुत्र स्व. हनुमान उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 दीपचन्द पुत्र स्व. हनुमान उम्र व्यस्क जाति जाट निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 सुलतान दत्तक पुत्र स्व. माना उर्फ मानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2 महादेव पुत्र स्व. गणेशा मृत
2/1 श्री चन्द पुत्र स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/2 विक्रम पुत्र स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/3 सज्जना पुत्री स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
2/4 बिमला पुत्री स्व. महादेवाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
3 शान्ति पत्नी स्व. भगवानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.। दौराने अपील मृत्यु

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4 मोहर सिंह पुत्र स्व. भगवानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
5 सुमेर पुत्र स्व. भगवानाराम उम्र व्यस्क निवासी ग्राम हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।
6 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील कार्यालय मलसीसर जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मलसीसर उनवानी प्रकरण सुलतान बनाम शिशराम आदि दावा बाबत घोषणा व विभाजन, पुराना मु.नं. 118/2009 नया मु.नं. 125/2013 डिक्री दिनांक 12.12.2021

उपस्थिति :

1. श्री राजेश कुमार सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री रशीद खान, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 7/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर द्वारा मुकदमा नम्बर 125/2013 (पुराना 118/2009) में पारित निर्णय दिनांक 28.05.2014, 14.03.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक—पृथक रखी जावें।

अनिल कुमार IIRAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व घोषणा बाबत भूमि खसरा नम्बर 703/872, 742, 751/824, 752, 753, 754, 759, 761, 784, 788, 788/903 वाके ग्राम हंसासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये दावा के समन नोटिस कभी भी अपीलान्ट को नही मिले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अन्य रेस्पोडेन्टगण के साथ साज कर बाला बाला ही अपीलान्ट के समन तामील करवा दिये तथा विचारण न्यायालय ने दिनांक 09.02.2011 को अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश कर दिया जबकि अपीलान्ट को दावा की जानकारी ही नहीं थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने विचारण न्यायालय के समक्ष दावा किया उसमें उक्त भूमियों को पैतृक होना वर्णित किया है जबकि स्व. गणेशा के सभी वारिसान को पक्षकार वादी अथवा प्रतिवादी नहीं बनाया स्व. हनुमान के अपीलान्ट के अलावा परमेश्वरी पत्नी रूघवीर पुनिया निवासी केहरपुरा जिला झुन्झुनूं जिनू पत्नी रामसिंह बोला निवासी बोला की ढाणी जिला झुन्झुनूं, किताब पत्नी रामनारायण निवासी लालपुर जिला झुन्झुनूं, मनोहरी पत्नी गुगनराम निवासी दिलालपुर पुत्रियां सन्तान तथा स्व. भगवानाराम के रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 के अलावा एक पुत्री इन्दिरा पत्नी सुभाष निवासी नालवा पुत्री है जिनको रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने पक्षकार नहीं बनाया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा में पक्षकारों के असंयोजन का नुक्श था। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को नहीं सुना है ओर ना ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया है यदि अपीलान्ट को विचारण न्यायालय समुचित रूप से तामील करवाकर सुनती तो उक्त तथ्य अपीलान्ट अवश्य ही विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते है। दावा दिनांक 06.08.2009 को विचारण न्यायालय के समक्ष

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

दायर किया गया था जिसमें प्रथम आर्डरशीट जारी करने के बाद दिनांक 21.12.2010 की आदेशिका तक कही पर भी समन जारी करने का नोट नहीं लगा है सीधे ही दिनांक 09.02.2011 की आदेशिका में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिले हुये थे जो जानबुझकर विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं हुये। आदेशिका का अवलोकन किया जावे तो पत्रावली नवसृजित अदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को पत्रावली अन्तरित होने तक साक्ष्य वादी साशय पेश नहीं किया। अपीलान्ट को प्रकरण के इस प्रकार से अन्तरित होने की भी जानकारी नहीं रही है पत्रावली अन्तरिम होने के बाद उक्त दिनांक 15.01.2014 को विचारण न्यायालय ने पत्रावली अन्तरण की सूचना ना देकर एकपक्षीय रूप से दावा स्वीकार कर दावा की इस्तदुआ के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हेतू रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को आदेश दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मगनाराम का दत्तक पुत्र मानते हुये उसके हक में 1/4 भूमि का रिकार्ड बनाने का आदेश भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को दे दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा के साथ पेश किये गये दस्तावेज व तथाकथित गोदनामा व अन्य दस्तावेज पर कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ। अपीलान्ट की बिना जानकारी के बाला बाला निर्णय करा लेने के बाद दिनांक 25.03.2014 की आदेशिका से दिनांक 13.01.2015 की आदेशिका तक पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष इन्तजार विभाजन प्रस्ताव में चलती रही, उसके बाद की आदेशिका दिनांक 17.03.2015 में पत्रावली को जवाब दावा अपीलान्ट के लिये नियत कर दिया। जबकि इससे पूर्व अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो चुका था तथा प्राथमिक निर्णय पारित किया जा चुका था ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय को अपास्त कर अपीलान्ट के खिलाफ हुये एकतरफा आदेश को निरस्त कर ही पत्रावली जवाबदावा में नियत हो सकती थी परन्तु अपीलान्ट को इस बात की भी जानकारी नहीं थी अपीलान्ट ने कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया था ओर ना ही प्रकरण में हाजिर होकर कोई पैरवी की है जहां

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

तक अपीलान्ट को जानकारी है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की कह कर अपीलान्ट को तहसील कार्यालय मलसीसर में लेकर आये थे उस वक्त अपीलान्ट को मुगालते में रखकर किसी कागज या वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये हो तो अपीलान्ट को जानकारी नहीं है अपीलान्ट ने कोई प्रार्थना पत्र दावा में उपस्थित होकर नहीं दिया है और ना ही किसी वकील को प्रकरण में वकील नियुक्त किया है तथा आदेशिका में भी कही पर भी अपीलान्ट की ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ हो ऐसा नोट भी नहीं है आदेशिका दिनांक 17.03.2015 या किसी अन्य आदेशिका में भी अपीलान्ट की उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर नही है ओर आदेशिका में यह भी वर्णित नहीं है कि अपीलान्ट की ओर से कोई एकतरफा कार्यवाही सेट असाईड करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो ओर रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देने या ना देने तथा बहस सुनकर एकतरफा कार्यवाही कर आदेश व निर्णय सेट असाईड किया जाकर जवाब पेश करने का अवसर अपीलान्ट को दिया गया हो न्यायालय मातहत ने अपनी आदेशिका में नही लिखा है, मनमाने तरीके से आदेशिका विचारण न्यायालय ने ड्रा कर प्रकरण में प्राथमिक निर्णय के बाद सीधे ही पत्रावली जवाब मे नियत कर बाद में जवाब बंद कर निर्णय पारित किया है जबकि कानून ऐसा नहीं किया जा सकता। प्रकरण में आदेशिका दिनांकित 11.09.2019 में अपीलान्ट की गैर हाजरी मानकर जवाब बन्द किया है जबकि कानून ऐसा नहीं किया जा सकता यदि प्रकरण में कोई पक्षकार प्रतिवादी गैर हाजिर है तथा पत्रावली जवाब में नियत हो तो कानूनन पक्षकार की गैर हाजरी कर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश होता है। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बाला बाला ही तहसीलदार से साज कर विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट को बिना जानकारी दिये मंगवाया विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01.12.2021 को तैयार किया गया है। विचारण न्यायालय के एक तरफा प्राथमिक निर्णय व गलत विभाजन प्रस्ताव से तथा उक्त निर्णय व गलत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिये गये अंतिम निर्णय से अपीलान्ट हक सीधे तोर पर प्रभावित होते है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व घोषणा बाबत भूमि खसरा नम्बर 703/872, 742, 751/824, 752, 753, 754, 759, 761, 784, 788, 788/903 वाके ग्राम हंसासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर दिनांक 09.02.2011 को अपीलान्ट के विरूद्ध विधिक प्रकिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट का विभाजन का वाद था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 15.01.2014 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर सुनवाई के उपरांत विचाराधीन निर्णय से अंतिम डिक्री जारी की गई है। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट उपस्थित नहीं आए है। अपीलान्ट को विचाराधीन प्रकरण की प्रारम्भ से जानकारी रही है। अपीलान्ट के नोटिस चश्पांदगी से तामील करवाये गये है। अपीलान्ट द्वारा असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुंत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद विभाजन व घोषणा बाबत भूमि खसरा नम्बर 703/872, 742, 751/824, 752, 753, 754, 759, 761, 784, 788, 788/903 वाके ग्राम हंसासर का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के रूप में दर्ज है। विचारण न्यायालय में सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर दिनांक 09.02.2011 को अपीलान्ट के विरूद्ध विधिक प्रक्रिया अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

विचारण न्यायालय में दावा दिनांक 06.08.2009 को दायर किया गया था जिसमें प्रथम आर्डरशीट जारी करने के बाद दिनांक 21.12.2010 की आदेशिका तक कही पर भी समन जारी करने का नोट नहीं लगा है आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली नवसृजित अदालत उपखण्ड अधिकारी मलसीसर को पत्रावली अन्तरित होने तक साक्ष्य वादी पेश नहीं किया। अपीलान्ट को प्रकरण के इस प्रकार से अन्तरित होने की भी जानकारी होने का तथ्य पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली अन्तरित होने के बाद उक्त दिनांक 15.01.2014 को विचारण न्यायालय ने पत्रावली अन्तरण की सूचना ना देकर एकपक्षीय रूप से दावा स्वीकार कर दावा की इस्तदुआ के मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हेतू रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को आदेश दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को मगनाराम का दत्तक पुत्र मानते हुये उसके हक में 1/4 भूमि का रिकार्ड बनाने का आदेश भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 6 को दे दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दावा के साथ पेश किये गये दस्तावेज व तथाकथित गोदनामा व अन्य दस्तावेज पर कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ।

प्रस्तुत प्रकरण में आदेशिका दिनांक 17.03.2015 में पत्रावली को जवाब दावा अपीलान्ट के लिये नियत कर दिया। जबकि इससे पूर्व अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश हो चुका था तथा प्राथमिक निर्णय पारित किया जा चुका था ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को अपास्त कर अपीलान्ट के खिलाफ हुये एकतरफा आदेश को निरस्त कर ही पत्रावली जवाबदावा में नियत हो सकती थी परन्तु अपीलान्ट को इस बात की भी जानकारी नहीं थी अपीलान्ट ने कोई वकील भी नियुक्त नहीं किया था ओर ना ही प्रकरण में हाजिर होकर कोई पैरवी की है अपीलान्ट ने कोई प्रार्थना पत्र दावा में उपस्थित होकर नहीं दिया है और ना ही किसी वकील को प्रकरण में वकील नियुक्त किया है तथा आदेशिका में भी कही पर भी अपीलान्ट की ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ हो ऐसा नोट भी नहीं है आदेशिका दिनांक 17.03.2015 या किसी अन्य आदेशिका में भी अपीलान्ट की उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर नही है ओर आदेशिका में यह भी वर्णित नहीं है कि अपीलान्ट की ओर से कोई एकतरफा कार्यवाही सेट असाईड करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो ओर रेस्पोडेन्ट ने उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब देने या ना देने तथा बहस सुनकर एकतरफा कार्यवाही कर आदेश व निर्णय सेट असाईड किया जाकर जवाब पेश करने का अवसर अपीलान्ट को दिया गया हो

प्रकरण में आदेशिका दिनांकित 11.09.2019 में अपीलान्ट की गैर हाजरी मानकर जवाब बन्द किया है जबकि विधि अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता यदि प्रकरण में कोई पक्षकार प्रतिवादी गैर हाजिर है तथा पत्रावली जवाब में नियत हो तो कानूनन पक्षकार की गैर हाजरी कर उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित पारित किया गया होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को उपस्थिति देवें।

अनिल कुमार, II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय आज दिनांक 7/8/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार जाट)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

अनिल कुमार जाट RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)